(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1923–एक/2001 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–8–2001 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 83/2001–02 निगरानी

1– कल्याण सिंह 2– मुरारी सिंह
3–विश्रामसिंह पुत्रगण अमरसिंह गुर्जर
निवासीगण ग्राम सुकाण्ड तहसील मेहगांव
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

छोटेसिंह पुत्र भोगीराम गुर्जर
ग्राम सुकाण्ड मौजा तिवरिया
तहसील मेहगांव जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद भार्गव)
(आवेदक के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक १५ – ९–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22–8–2001 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश विवरण यह है कि आवेदक एंव अनावेदक का सामिलाती खाता क्रमांक 2 पर कुल रकबा 9.008 है. के बटवारे हेतु अनावेदक ने तहसील न्यायालय में बटवारा आवेदन दिया। तहसील न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 5/1997-98 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 28-4-98 से बटवारा कर दिया गया एंव बटवारे के आधार पर बटांक कायम किये जाकर मौके अनुसार अमल कर दिया गया। तदुपरांत आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में दिनांक 5-11-99 को एक आवेदन देकर बटांक कायम किये जाने की प्रार्थना की, जिस पर से तहसील न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। सुनवाई के दौरान अनावेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। प्रकरण में सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 17-5-2000 पारित हुआ तथा राजस्व निरीक्षक को मौके पर जाकर फर्द बटवारे अनुसार एंव मौके पर जोती जा रही जमीन एंव कब्जे अनुसार नक्शे में सुधार एंव अमल करने के निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 30-11-2000 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 83/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 22-8-2001 से निगरानी स्वीकार की गई एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह ज्ञात होती है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5/1997-98 अ 27 में पारित आदेश दिनांक 28-4-98 से उभय पक्ष के बीच बटवारा हुआ है तदुपरांत बटवारे के आधार पर बटांक कायम किये जाकर मौके अनुसार अमल कर दिया गया। इसके वाद आवेदकगण व्दारा पुनः बटांक कायम करने का आवेदन दिया है जिस पर से तहसील न्यायालय में पुनः प्रकरण पंजीबद्व करके सुनवाई की गई एंव अनावेदक व्दारा पूर्व में बटांक कायम किये जाने एंव अमल होने की आपत्ति करने एंव प्रकरण निरस्त करने की मांग को अनदेखा कर दिया गया। जब पूर्व में वाद विचारित भूमि का बटवारा होकर बटांक कायम हो चुका, उसी भूमि पर पुनः बटांक कायम करवाना नियमानुसार नहीं माना जा सकता, जिसके कारण अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 83/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-8-2001 से तहसील न्यायाल के पुनः बटा कायम कराने हेतु दिये गये आदेश दिनांक 17-5-2000 एंव अपर कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 30-11-2000 को त्रृटिपूर्ण पाने से निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-8-2001 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर